

राजस्व लोक अदालत केम्प पंचकोटिया
मुकदमा नम्बर ३१५१ नं. २५/१८
वादी- ५१५/१८

शम्भूराम पुत्र पेमाराम जाति - जाट निवासी पंचकोटिया

बनाम तहसीलदार किशनगढ रेनवाल (प्रतिवादी)

दावा दुरस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा ८८, ८९

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादी की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का वाद निम्न प्रकार है -

ग्राम खिरवा पटवार हल्का पंचकोटिया तहसील किशनगढ-रेनवाल
के आराजी खसरा नम्बर ११५/१ खसरा ५-१० बीघा

में वादी का नाम व विवरण

शमलाल पुत्र पेमाराम

के स्थान पर

शम्भूराम उर्फ शमलाल पुत्र पेमाराम

पर दुरस्त किया जावें।

उपरोक्त वाद के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दस्तावेजों के अवलोकन करने तथा रिपोर्ट पटवारी/भू.अ.नि./तहसीलदार की अभिशंसा के आधार पर एवं केम्प कोर्ट में मजमेंआम में जांच की जाने पर उक्त दुरस्ती से किसी सहखातेदार का हित प्रभावित नहीं होने से वादी का वाद डिकी किया जाना उचित है।

वर्तमान प्रविष्टि	आदेशित शुद्ध प्रविष्टि
वर्तमान (अगावन्दी) सम्वत् 2077-78 ग्राम खीरवा से. आ. ख. नं. 115/ शुल्का 4-10 शमलाल पुत्र योगाराम जाति-जाट निवासी-पचल्कोड़िया	शम्भूराम उर्फ शमलाल पुत्र योगाराम जाति-जाट निवासी- पचल्कोड़िया



सत्यमेव जयते

उपरोक्त डिकी अनुसार तहसीलदार किशनगढ़ खीरवाली
को राजस्व रिकार्ड में अमल दरावद हेतू लिखा जावे।

शा. नं. 0 पंचकोड़िया
सांभर लेक
24-4-2018

सहायक कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सांभर-लेक (जयपुर)